कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा, (म.प्र.)

(ए.डी.आर. भवन, जिला न्यायालय परिसर, हरदा, म.प्र. 461331)
Office Phone : 07577-299003, Email : secdlsahrd@mp.gov.in

क्रमांक / स्थापना / जिविसेप्रा / 523 / 2026 हरदा, दिनांक 10/04/2026

// विज्ञप्ति //

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्रमांक 126 / 2026 दिनांक 09.04.2024 के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा के बहुउपयोगी वाहन के लिए संविदा आधार पर चालक की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान	न्यूनतम योग्यता
01	वाहन चालक	01	12,000 / – प्रतिमाह	1. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. वैध ड्राईविंग लाईसेंस तथा वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। 3. ऐसे अभ्यर्थी (वाहन चालक) जो कि योग्य मैकेनिक है, उन्हें वरीयता दी जावेगी।

इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 20.04.2026 समय सायं 05:00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निम्नानुसार दस्तावेजों सहित इस कार्यालय में जमा कर सकते है –

1. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति।
2. वैध ड्राईविंग लाईसेंस की स्वप्रमाणित प्रति।
3. वाहन चलाने का अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
4. मैकेनिक होने के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि कोई हो तो)
5. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।

वाहन चालक की सेवा एवं शर्ते –

1. यह संविदा नियुक्ति, अनुबंध प्रारंभ में 02 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन, अच्छे आचरण और निरंतरता की आवश्यकता के आधार पर तत्पश्चात एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। संविदा अवधि के पश्चात नियमित नियुक्ति या निरंतर सेवा का कोई अधिकारी नहीं होगा।
2. संविदा चालक की सेवाएं संतोषजनक न पाये जाने या अन्य प्रशासनिक स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। संविदा वाहन चालक भी एक माह का पूर्व नोटिस देकर या एक माह के वेतन के बराबर राशि जमा कर त्यागपत्र दे सकेगा।
3. संविदा चालक के कार्यों की समीक्षा समय–समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जावेगी तथा संतोषजनक व अनुशासन के अनुरूप न पाये जाने पर अनुबंध की निरंतरता या विस्तार किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।
4. संविदा वाहन चालक को एक केलेण्डर वर्ष में 13 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

स्थापना / सचिव
09/04/2026
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला–हरदा (म.प्र.)

आवेदन व साक्षात्कार/परीक्षा :

1. सारणी में वर्णित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी वाहन चालक निर्धारित दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन कर सकेंगे तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को आवश्यक रूप से स्वप्रमाणित करेंगें। **अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नंबर निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से भरें।**
2. अभ्यर्थी वाहन चालक ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, जिला न्यायालय हरदा में उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से आवेदन दिनांक 20.04.2026 सायं 05:00 बजे तक कर सकेंगे।
3. डाक के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी वाहन चालक इस प्रकार आवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें कि उनका आवेदन दिनांक 20.04.2026 समय सांय 05:00 बजे तक प्राप्त हो जावे। उक्त अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. साक्षात्कार की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत निर्धारित की जावेगी जिसकी सूचना पृथक से अभ्यर्थी वाहन चालको को दी जावेगी।
5. व्यवहार ड्राईविंग परीक्षा अनिवार्य है। उक्त परीक्षा की तिथि निर्धारित होने पर अभ्यर्थी वाहन चालकों को पृथक से अवगत कराया जावेगा।
6. निर्धारित साक्षात्कार/ड्राइविंग परीक्षा तिथि में संबंधित अभ्यर्थी वाहन चालक के उपस्थित ना होने की दशा में उसका आवेदन निरस्त माना जावेगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी हेतु पृथक से साक्षात्कार/परीक्षा आयोजित नहीं की जावेगी।
7. यदि किसी भी अभ्यर्थी वाहन चालक द्वारा आवेदन के साथ किसी फर्जी दस्तावेज को संलग्न कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी तथा उसे इस कार्यालय द्वारा आयोजित किसी भी अन्य परीक्षा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा।
8. किसी भी आवेदन की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यता के संबंध में अंतिम निर्णय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लिया जावेगा।

इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेजों को संलग्न करें। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा से संपर्क किया जा सकता है।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार।

संलग्न – आवेदन प्रारूप।

Rathore
10/04/2026

(चंद्रशेखर राठौर)
न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला–हरदा (म.प्र.)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, हरदा (म.प्र.)

वाहन चालक (सविंदा) पद हेतु आवेदन–पत्र

(कार्यालय उपयोग हेतु)	सफेद पृष्ठभूमि के साथ आवेदक की स्व–सत्यापित पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो लगाये जो कि विज्ञापन अधिसूचना की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

1.	**आवेदक का नाम**	:	
2.	**पिता का नाम**	:	
3.	**जन्मतिथि**	:	
4.	**लिंग**	:	
5.	**शैक्षणिक योग्यता (कृपया** समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें) :		

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	प्राप्त अंक	कुल अंक	प्राप्त अंकों का प्रतिशत
दसवीं / मैट्रिक						

6.	**मैकेनिक योग्यता** (कृपया समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें) **(यदि कोई हो तो)**	:	
7.	**ड्राइविंग लाईसेंस का विवरण**	:	

ड्राइविंग लाईसेंस संख्या	जारी करने वाला प्राधिकारी	जारी करने की तिथि	वैद्यता तिथि	लाईसेंस का प्रकार LMV या HMV	टिप्पणी

8. **अनुभव यदि कोई हो तो** (कृपया समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें)

संस्थान / संगठन का नाम	पद	अवधि		कार्य का विवरण	टिप्पणी
		से	तक		

9.	पत्राचार हेतु वर्तमान पता	:	 जिला राज्य पिन कोड
10	स्थायी पता	:	 जिला राज्य पिन कोड
11.	ईमेल आई.डी.	:	
12.	मोबाईल नंबर (अनिवार्य)	:	
13.	संलग्न किए गए दस्तावेजों की सूची (प्रत्येक दस्तावेज का विवरण दर्शाते हुए)	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
14.	यदि आवेदक के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट या वाहन चालन के दौरान किसी दुर्घटना से संबंधित या अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/वर्तमान में लंबित है अथवा निराकृत हो चुका है, तो उसका विवरण देवे (अपराध संख्या अथवा प्रकरण क्रमांक का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे)	:	

मैं, एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी एवं विवरण, मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य और सही है। पहले अथवा बाद में कोई भी सूचना के गलत/असंगत या अपात्र पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी बिना किसी पूर्व सूचना के स्वतः निरस्त हो जाएगी।

दिनांक
स्थान

बाएं अंगूठे का निशान	आवेदक के हस्ताक्षर